कार्यालय लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा वाद संख्या–64, 67/2018 श्री विदेशी सहनी एवं अन्य बनाम पचांयत रोजगार सेवक–चन्द्रहिया, कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी।

वाद का वर्णन

परिवादीगण श्री विदेशी सहनी, पिता–श्री राजेन्द्र सहनी और लीलावती देवी, पति–श्री बाबूलाल सहनी, ग्राम–फुरसतपुर, ग्राम पंचायत राज–चन्द्रहिया, प्रखंड–मोतिहारी द्वारा आवेदन दिया गया है कि वर्ष 2012–13 में मनरेगा के तहत में वृक्षारोपण में कार्य किया गया है लेकिन मजदूरी नहीं मिला है। मजदूरी दिलवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/अनुपालन

अतः उक्त आवेदन के आलोक में वाद दायर कर पचांयत रोजगार सेवक चन्द्रहिया मुखिया, पचांयत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता और कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी को नोटिस जारी किया गया। पंचायत रोजगार सेवक चन्द्रहिया और कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा जवाब दिया गया है जो निम्न प्रकार है:–

क्र0	वाद संख्या	परिवादी का नाम एवं जॉबकार्ड सं0	DP सं0	कार्य दिवस एवं राशि	कुल मजदूरी	बकाया मजदूरी की राशि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
01	64/2018	श्री विदेशी सहनी 633	DP–543	99 x 144=14256	14256	14256	MIS बंद रहने के कारण भुगतान नहीं हुआ है।
02	67/2018	श्रीमती लीलावती देवी 234	DP–543	99 x 144=14256	14256	14256	

विचारणीय बिन्दु

1. क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा में काम किया गया है ?
2. क्या परिवादीगण का मजदूरी का भुगतान किया गया ह?

निष्कर्ष/निर्णय

पत्रावली और पंचायत रोजगार सेवक, चन्द्रहिया, कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा समर्पित विस्तृत प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभिलेखो से ज्ञात होता है कि परिवादीगण द्वारा मनरेगा में वृक्षारोपण योजना में काम किया है और पूरा मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अतः बकाया मजदूरी का पैसा का भुगतान ससमय हो जाना चाहिए था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया हैं। मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची II में पारा–29 के अनुसार मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलम्ब अवधि की गणना कर क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान मजदूरी की राशि के साथ किया जाय।

आदेश

1. कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतिहारी को आदेश दिया जाता है कि परिवादी का बकाया मजदूरी भुगतान क्षतिपूर्ति राशि के साथ यथाशीघ्र किया जाय एवं इसकी सूचना A.T.R से दी जाय।

लोकपाल (मनरेगा),
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक– 41 / दिनांक– 30.7.18

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)–सह–जिला पदाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, मोतिहारी/पं0रो0से0, चन्द्रहिया एवं परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

O/C